Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराध : एक सॉख्यकीय अध्ययन

विनोद कुमार तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक, एम.बी.खालसा लॉ कालेज, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता की कामना करता है, किंतु जन्म से जीवन के प्रत्येक पग पर परिस्थितियॉ उसकी स्वतंत्रता में व्यवधान उत्पन्न करती है। अपनी परतंत्रता का ज्ञान होने पर वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन का अधिकार चाहता है। पुरूष की तुलना में महिलाओं परतंत्रता ज्यादा, स्वतंत्रता कम होती है। जबकि परिवार की खुशहाली एवं शांति हेतु महिला की स्वतंत्रता ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि **'यदि महिला खुश तो घर खुशहाल'** होता है। अत: नारी के बहुमुखी विकास के लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार मिलना अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है, समाज की प्रथाओं, रीति–रिवाजों ने महिलाओं के उत्पीडन को ओर बढाया है, जिसका मुख्य कारण भारतीय समाज में पुरूषों की प्रधानता है। समाज में महिलाओं के उत्पीडन महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए भारत में बनाये गये कानूनों, महिला शिक्षा व्यवस्था एवं महिलाओं की आर्थिक प्रगति के उन्नयन हेतु बनायी गई योजनाओं के बाबजुद भी, महिलाओं से छेडछाड, बलात्कार, यौनशोषण उत्पीडन, दहेज, घरेलु हिंसा आदि अपराध आज भी हो रहे है तथा आकडे बताते है इनका ग्राफ बढ रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय के महिला एवं बालविकास विभाग के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनिट में एक महिला का बलात्कार, 51 मिनिट में छेडछाड, 16 मिनिट में बदसलूकी तथा 101 मिनिट में दहेज के कारण हत्या होती है। इस शोध पत्र के माध्यम से महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा एवं अपराधों का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – अपराध, हिंसा, उत्पीडन, दहेज, कनूनी संरक्षण।

प्रस्तावना – भारत में आपराधिक विधि के अन्तर्गत स्त्री तथा पुरूष दोनों के शरीर स्वास्थय तथा सम्पत्ति की सुरक्षा संबंधी प्रावधान संहिताबद्ध किये गये हैं परंतु महिलाओं के संबंध में कुछ विशिष्ट प्रावधान भी दिये गये है, जो कि सिर्फ महिलाओं को ही प्राप्त है तथा ऐसा उनकी विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा कुछ प्रावधान बाद में शामिल किये गये जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलु हिंसा से बचाना है। इस संबंध में कुछ विशिष्ट प्रावधानों जैसे भ्रुण हत्या, बलात्कार एवं किसी स्त्री के पति या नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रुरता का उल्लेख किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित करते हुए उन्हें रोकने हेतु दण्डात्मक प्रावधान किये गये है।

भारत में घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु 2005 में घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को समाप्त करना तथा उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करना है। जहाँ महिला घर से बाहर अपने आप को असुरक्षित पाती है। वहीं परिवर्तित परिवेश में वह अपने आपकों घर के अंदर भी असुरक्षित महसूस करती है। तथा कई अवसरों पर वह अपने घर के सदस्यों अपने पति द्वारा तथा पति के रिश्तेदारों द्वारा भी प्रताडना का शिकार होती रहती है।

भारतीय संविधान में नारी–पुरूष, अमीर–गरीब, शिक्षित–अशिक्षित सभी को समान सुरक्षा प्रदान की गई है, स्त्री पुरूष सभी को समाजिक, आर्थिक प्रथा राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण सभी को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 (3) में महिलाओं एवं बच्चों को कुछ विशेष सुविधा प्रदान की गई है, क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण विशेष संरक्षण की आवश्कता होती है।

अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से (चाहे महिला हो या पुरूष) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है तथा सभ्य समाज में महिलाओं को भी यह अधिकार है कि वे गरिमामय जीवन जी सके।

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध :– महिलाओं के खिलाफ अपराध विभिन्न प्रकार के होते है जैसे– वैश्यावृत्ति, तरस्करी, दहेज हत्या, बलात्कार, हमला, सामूहिक बलात्कार, कार्य स्थल पर उत्पीडन, एसिड हमला, अपहरण, आर्थिक लाभ के लिए यौन संबंध से जुडे अपराध आदि।

बलात्कार :– भारत में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार चौथा सबसे आम अपराध है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों (NCRB) की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में 31677 बलात्कार के मामले दर्ज किये गये अर्थात औसतन प्रतिदिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ।

एनसीआरबी 2021 के आकडों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बलात्कार की घटनाए दर्ज की गई उसके बाद मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। मेट्रो पालिटन शहरों में कोलकत्ता में बलात्कार के सबसे कम मामले दर्ज किये गये यहां बलात्कार की दर दर सबसे कम है।

2021 में किये गये एक नमूना सर्वे के आधार पर ह्यूमन राइट्स वॉच का अनुमान है कि भारत में हर साल 7200 से अधिक नाबालिगों (Minors)

के साथ बलात्कार किया जाता है।

वेश्यावृत्ति :- भारत को दुनिया के सबसे बडे व्यवसायिक 'सेक्स उद्योग' में से एक माना जाता है। भारत में सेक्स उद्योग अरबों डालर का है और सबसे तेजी से बढने वाले उद्योगों में से एक है। दैनिक भास्कर 28/05/2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28 लाख से अधिक लडकिया वेश्यावृत्ति के पेशे में है। हमारे देश में वैश्यावृत्ति और कनूनी नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी को फोर्स करना और सार्वाजनिक वेश्यावृत्ति करना गैर कानुनी है। वेश्यालय का मालकाना हक भी अवैध है।

तस्करी :- महिलाओ और बच्चियों की तस्करी भारत में दूसरा सबसे बड़ा मानवाधिकार संबंधीत अपराध है। भारत में खास तौर से उत्तरपूर्वी राउयों की छोटी लड़कियों एवं युवा महिलाओं को एजेंट द्वारा उनके माता-पिता, संबंधियों को उनकी बेहतर पढ़ाई, नौकरी और पैसों का लालच देकर लाया जाता है, इसके बाद उन्हें धोखें से बंधुआ मजदूरी एवं यौन शोषण के लिए बेच दिया जाता है।

गैर सककारी संगठनल गेम्स 24/7 और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रॅन्स फाउडेशन (KSCF) द्वारा किये गये अध्ययन से भारत में बाल तस्करी के बारे में चौकाने वाले आकड़े सामने आये है प्री कोविड से वोस्ट कोविड लड़कियों की तस्करी के आकड़ो में इजाफा हुआ है।

(NCRB) के आकाड़ो के मुताबिक 2020 से 2022 तक में वेश्यावृत्ति के लिए की जा रही महिलाओं की तस्करी के आकड़ो में 24% का इजाफा हुआ है। 2020 में जहां 1714 मामले दर्ज हुए थे तो 2022 में बढ़कर 2,250 हो गये।

छहेज हत्या :- हमारे देश में दहेज की प्रथा का आज भी प्रचलन है। सरकार द्वारा तमाम नियम कानुन बनाये जाने के बाद भी दहेज प्रकरण कम नहीं हो रहे है और आये दिन देश में रोज दहेज हत्याए हो रही है (NCRB) के रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच प्रतिदिन करीब 20 दहेज हत्याए दर्ज की गई है। 2017 से 2021 के बीच देश में 35,493 दहेज हत्याए हुई।

कन्या भ्रूण हत्या :- केन्द्र सरकार के आकड़ो पर आधारित व्यू रिसर्च सेंटर के एक सोध वर्ष 2000 से 2019 में कम से कम 9 मिलियन महिलाओं की भ्रुण हत्या की गई। शोध में पाया गया की इनमें से 86.7% भ्रुण हत्याए हिन्दुओं द्वारा इसके बाद 4.9% भ्रुण हत्या सिखों द्वारा तथा 6.6% भ्रुण हत्या मुसलमानों द्वारा की गई है। 2023 में हुए एक अध्ययन के अनुसार 8000 गर्भपात में से 7997 गर्भपात कन्या भ्रुण पर किये गये है।

बाल विवाह :- 2023 में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत में दस वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के 7.84 मिलियन बाल विवाह हुए।

एसिड अटैक :- NCRB के आकड़ो के अनुसार भारत में 2019 में 150 वर्ष 2020 में 105 और वर्ष 2021 में 102 मामले एसिड अटैक के दर्ज किये गये।

महिलाओं का अपहरण :- भारत में 2022 के दौरान 21,278 पुरूषों 88,861 महिलाओं और 01 ट्रास्जेन्डर सहित कुल 1,10,140 लोगों के अपहरण रिपोर्ट किये गये। जिनमें से 1 गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2021 तक 13 लाख से अधिक लड़किया गायब हुई। जिनमें से 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 लड़कियां 18 साल तक उम्र वाली 2,51,430 लड़किया शामिल है।

भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार 2022 के दौरान भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें पतियों और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, अपहरण हमलो और बलात्कार के मामले शामिल है, 2020 में जहां महिलाओं के खिलाफ 3,71,503 मामले दर्ज हुए थे जो 2022 में बढ़कर 4,45,256 हो गये।

2023 की रिपार्ट में बताया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) के तहत महिलाओं, के खिलाफ अपराधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रुरता 31.4% महिलाओं का व्यपहरण और अपहरण 19.2% महिलाओं पर हमला, शीलभंग करने का इरादा 18.7% और बलात्कार 7.1% प्रतिलाख जन संख्या पर, अपराध दर 2021 में 64.5% थी जो 2022 में 66.4% हो गई है।

निष्कर्ष – महिलाओं के खिलाफ अपराध एक वैश्विक घटना है और अपराधों के लिखाफ कदम उठाना और महिलाओं की सुरक्षा करना समय की मॉग है। हमारे समाज में महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गरिमापूर्ण एवं सम्मानित जीवन जीना प्रत्येक महिला का अधिकार है। महिलाएं सिर्फ मॉ, बहिन, बेटी नहीं है वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं और कर्तव्यों के कारण हमारे समाज का मूल्यवान हिस्सा है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु तमाम कानूनी प्रयास किये जा रहे है फिर भी वर्तमान आकड़ो से दर्शित होता है कि महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है।

अत: कानूनी प्रावधानों का सम्यक रूप से ईमानदारी पूर्ण किया चयन होना चाहिए तभी हमारे देश में महिलाओं के विरूद्ध अपराध विशेष रूप से यौन अपराधों में कमी आयेगी। साथ ही महिला सशक्तीकरण को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सूर्य नाराण मिश्रा - भारतीय दण्ड संहिता
2. जे. एन. पाण्डे - भारत का संविधान
3. डॉ. बसंती लाल बाबेल - भारतीय दण्ड संहिता
4. NCRC रिपोर्ट- 2023
5. en.m.wikipedia.law
6. www.leadindia.law
7. https://medicamondiale.org

****